न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

तारीख रजू:–08.04.2015

मु0नं0:–28 / 2015

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2015 / 00102

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजेश पुत्र गोपाल
2. राकेश पुत्र गोपाल
3. तुलसा बेवा गोपाल

समस्त जातियान काछी, निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. शिवदयाल पुत्र माधो **(नाम हजफ)**
2. देव्या पुत्र माधो काछी **(फोत)**

   2 / 1. प्रकाशी पुत्री देव्या पत्नि श्योजी काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

   2 / 2. प्रहलादी पुत्री देव्या पत्नि देवकिशन काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी काछीपुरा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

   2 / 3. संतरा पुत्री देव्या पत्नि केदार काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी मेहताबपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
3. रमेश पुत्र गोकल
4. जयप्रकाश पुत्र गोकल **(शिवप्रकाश के स्थान पर नाम संशोधित)**
5. ओमप्रकाश पुत्र गोकल
6. बरदी बेवा गोकल
7. हनुमान पुत्र हरनाथ
8. बाबू पुत्र हरनाथ
9. पाना बेवा हरनाथ
10. छीतर पुत्र रोड्या काछी (फोत)

    10 / 1. सत्यनारायण पुत्र छीतर काछी, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

10/2. शांति बेवा छीतर काछी निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

11. रामनिवास पुत्र रोड़्या
समस्त जातियान काछी, निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

12. गुड्डी पुत्री गोकल पत्नि गिर्राज काछी; निवासी शिवाड़, हाल निवासी निमोला, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान।

13. गीता पुत्री हरनाथ पत्नि कन्हैया लाल काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

14. मन्ना पुत्री हरनाथ पत्नि हनुमान काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी झूंपड़िया, तहसील उनियारा, जिला टोंक, सवाई माधोपुर।

15. सीता पुत्री हरनाथ पत्नि छीतर काछी, निवासी शिवाड़, हाल निवासी मेहताबपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।

16. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित—
वकील वादीगणः—श्री हंसराज यादव, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7 व 10ः— श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3, 8 लगायत 16ः— एकपक्षीय कार्यवाही
वकील प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6ः— स्वयं प्रतिवादी उपस्थित

दावा बाबत् इस्तकरारे हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92 A, 188 आर0टी0 एक्ट 1955 एवं इन्द्राज दुरूस्ती

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांकः—07.04.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत ... ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के काश्तकार व्यक्ति है।

Jogen
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 1072 रकबा 10 बीघा बारानी अवल बेज्या पुत्र गंगाराम व माधो पुत्र श्यौचन्दा काछी, सा0 देह, हिस्सा बराबर की खातेदारी की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

❖ साबिक आराजी खसरा नंबर 1072 रकबा 10 बीघा के हिस्सा बराबर के खातेदार माधो पुत्र श्यौचन्दा काछी की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण 712 भरा गया, जिसमें खातेदार माधो के उत्तराधिकारी गोपी, हरनाथ, देव्या, शिवदयाल, गोकल पि0 माधो काछी सा0 देह के नाम खातेदारी अंकित थी, परन्तु उक्त जमाबंदी में गोपाल एवं माधो के उत्तराधिकारी के हिस्सा का बराबर अंकन नहीं किया।

❖ साबिक खसरा नंबर 1072 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम शिवाड़ के सेटलमेंट के दौरान नये खं०नं० बना दिये जिसमें नवीन खं०नं0 1557 रकबा 1.33 हे०, ख0नं0 1581 रकबा 0.60 हे० ख0नं0 1582 रकबा 0.60 हे० बना दिये।

❖ साबिक आराजी खं०नं0 1072 रकबा 10 बीघा के हिस्सा 1/2 के खातेदार गोपाल पुत्र बेज्या उर्फ बैजनाथ काछी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी वादीगण सं० 1 लगायत 3 के नाम नामान्तकरण भरा गया। जिसमें सेटलमेन्ट के पूर्व सं0 2037–2040 की जमाबन्दी में हिस्सा दर्ज नही होने के कारण वादीगण के पिता की हिस्सेदारी को 1/6 दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था। उक्त गलती राजस्व कर्मचारी कि उदासीनता एवं लापरवाही के कारण हुई है।

❖ वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर वादग्रस्त आराजी नवीन खं०नं0 1557 रकबा 1.33 हे०, खं०नं0 1581 रकबा 0.60 हे०, खं०नं0 1558 रकबा 0.60 हे०, एवं एक अन्य नवीन खं०नं0 1558 रकबा 0.01 हे०, खं०नं0 1558/5591 रकबा 0.26 हे0 को मौके पर बांट रखा है। जिसमें वादीगण को नवीन खं०नं0 1557 रकबा 1.33 हे० पर हिस्सा है एवं चाह नं0 1558 रकबा 0.01 हे0 पर हिस्सा 1/4 काबिज है।

❖ वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं0 1072 रकबा 10 बीघा के हिस्से 1/10 के हिस्सेदार गोपी पुत्र माधो काछी निवासी शिवाड़ की मृत्यु हो चुकि है एवं गोपी अविवाहित निर्वसियत फोत हो चुका है। गोपी के हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर 1 लगायत 9 प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।

❖ नवीन जमाबन्दी 2070–73 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की शामलाती खातेदारी की आराजी का तकासमा कराने हेतु दिनांक 01/10/2014

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

को हल्का पटवारी से मिला तब नवीन जमाबन्दी एवं नवीन नक्शाट्रेस की नकल ली तो वादीगण का हिस्सा गलत प्रकार से 1/6 अंकित कर रखा था। जिसकी शुद्धि हेतु विपक्षीगण से निवेदन किया परन्तु हिस्से की शुद्धि होने हेतु न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर[illegible] दावा पेश होकर वाद पत्र पेश करना लाजमी आया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

- साबिक आराजी खं०नं० 1072 रकबा 10 बीघा में वादीगण के पिता का हिस्सा 1/2 दर्ज था जिसे नवीन जमाबन्दी के खसरा नं0 1557 रकबा 1.33 हेक्टर, खसरा नं० 1581 रकबा 0.60 हेक्टर एवं खसरा नं0 1582 रकबा 0.60 हेक्टर वाके ग्राम शिवाड में सेटलमेन्ट के बाद गलत हिस्सा 1/6 अंकित कर दिया उसे शुद्ध फरमाया जाकर हिस्सा 1/2 का अंकन वादीगण सं० 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी फरमायी जावे।

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सामलाती की खातेदारी में दर्ज भूमि की हिस्सा 1/2 की शुद्धि फरमाई जाकर हिस्सा 1/2 के आधार पर तकासमा किया जावे जिसमें वादीगण के कब्जेकाश्त के खेत नवीन खं०नं० 1557 रकबा 1.33 1558/5591 रकबा 0.26 हे0 में हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी सं० 1 लगायत 9 के खातेदारी में अंकित की जावे एवं चाह खं०नं0 1558 रकबा 0.01 हे0 को सामलाती में वादीगण सं० 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा 1/2 खातेदारी में अंकित की जावे। एवं प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 11 का नाम चाह खं० नं0 1558 से हजफ फरमाया जावें।

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती कब्जे कास्त की आराजी का जब तक शुद्ध नही हो जावे एवं विधिवत तकासमा नहीं हो जावे तब तक स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे प्रतिवादी सं० 1 लगायत 14 मद सं० 5 में दर्ज भूमि को किसी दीगर व्यक्ति, संस्था, बैंक को रहन वय एवं विकय नहीं करे न ही ट्रांसफर करे। ना स्वयं करे ना किसी दीगर व्यक्ति से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3, 8 लगायत 16 के बावजूद तामील न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 17.10.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 ने एक राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि–

- वादी व हम प्रतिवादीगण ग्राम शिवाड के मूल निवासी है।
- वादी व हम प्रतिवादीगण कि सह खातेदारी भूमि ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए तहसील चौथ का बरवाडा मे हाल जमाबन्दी सवत 2073–76 मे दर्ज खाता संख्या 131 में दर्ज खसरा नम्बर 1557 रकबा 1.3300 है० खसरा न0 1581 रकबा 0.60 है० खसरा न0 1582 रकबा 0.60 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.5300 है० है जोकि सेन्टलमेन्ट से पूर्व मे खसरा नम्बर 1072 रकबा 10 बीघा से बने है। जोकि पूर्व मे बेज्या बल्द गंगा राम व माधो पुत्र श्योचन्दा कौम काछी निवासी शिवाड के नाम 1/2,1/2 हिस्से में दर्ज थी जोकि सेन्टल मेन्ट से तक उत्त खातेदारों के वारिसान के नाम इसी प्रकार दर्ज थी। वर्तमान मे मुताबिक हिस्से के अनुसार ही वादीगण 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहे है।
- खातेदार बेज्या बल्द गंगा राम कौम काछी के वारिसान का सजरा इस प्रकार है:–

बेज्या बल्द गंगा राम

गोपाल

- राजेश (पुत्र)
- राकेश (पुत्र)
- तुलसा (पत्नि)

- पूर्व खातेदार माधो पुत्र श्योचन्दा काछी के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार है–

माधो पुत्र श्योचन्दा काछी

- गोपी (नाऔलाद फोत)
- हरनाथा
  - हनुमान (पुत्र)
  - बाबू (पुत्र)
  - गीता (पुत्री)
  - मन्ना (पुत्री)
  - सीता (पुत्री)
- देव्या
  - प्रकाशी (पुत्री)
  - सन्तरा (पुत्री)
  - प्रहलादी (पुत्री)
- शिवदयाल
  - दत्तक पुत्र ओमप्रकाश
- गोकुल
  - रमेश
  - जयप्रकाश
  - ओमप्रकाश
  - बरदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➤ वादीगण द्वारा चाहे गये शुद्धि हिस्सेदारी करने के न्यायालय आदेश पारित करता है तो हमे किसी प्रकार आपत्ति नही है। हमारी पूर्ण सहमति है।

➤ अतः राजीनामा पेश कर अर्ज है कि ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए तहसील चौथ का बरवाडा मे हाल जमाबन्दी सवत 2073–76 मे दर्ज खाता संख्या 131 मे दर्ज खसरा नम्बर 1557 रकबा 1.3300 है० खसरा न0 1581 रकबा 0.60 है० खसरा न० 1582 रकबा 0.60 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.5300 है० मे वादीगण का हिस्सा 1/6 कि बजाय 1/2 हिस्सा शुद्ध करने के आदेश पारित करने कि कृपा करे।

5. बहस वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7 व 10 सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। उक्त राजीनामे पर वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7 व 10 ने भी सहमति व्यक्त की। साथ ही वकील वादीगण ने धारा 53 आर0टी0 एक्ट के तहत तकासमा के अनुतोष नहीं चाहने हेतु निवेदन किया है।

6. मैंने वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3, 7 व 10 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अतः मैं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर विवादित आराजीयात का राजीनामे अनुसार शुद्धी किया जाना उचित समझता हूं।

–:आदेशः–

वादीगण का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाडा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खसरा नंबर 1557 रकबा 1.33 है0, खसरा नंबर 1581 रकबा 0.60 है0 एवं खसरा नंबर 1582 रकबा 0.60 कुल किता 03 कुल रकबा 2.53 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादीगण का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/2 दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:54:45 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)